

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55 7

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2004/माघ 14, 1925

No. 55 ]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2004/MAGHA 14, 1925

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 94(अ).—वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) नियम, 2003 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों को वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2004 कहा जाएगा।
- (2) इन नियमों के नियम 1, 2, 3, 5, 6 [नियम 6 के उप-नियम (5) के अलावा] और 7 इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे जबकि इन नियमों का नियम 4 और प्रधान नियमों के नियम 6 का उप-नियम (5) जैसा कि इन नियमों के नियम 5 में निहित है, ऐसे प्रकाशन की तारीख से 180 दिन के समाप्ति के बाद प्रवृत्त होंगे।
- 2. वन (संरक्षण) नियम 2003, (जिसे इसके बाद नियम कहा गया है) में नियम 2 खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
  - (ख) ''सिमति'' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित वन परामर्शदात्री सिमिति से है।
  - 3. उक्त नियम के नियम 3 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
    - "3. वन परामर्शदात्री समिति का गठन:—
    - (1) वन परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
      - (i) वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

-अध्यक्ष

(ii) अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

—सदस्य

(iii) अपर आयुक्त (भू-संरक्षण), कृषि मंत्रालय

-सदस्य

(iv) प्रत्येक खनन, सिविल इंजीनियरिंग और विकास आर्थिक विशेषज्ञ (गैर-सरकारी)

\_ सदस्य

- (v) वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय —सदस्य सचिव।
- 2. वन महानिदेशक की अनुपस्थिति में अपर वन महानिदेशक इसके अध्यक्ष होंगे।

4. उक्त नियमावली के नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय समिति का गठन :—

- (1) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय समिति गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्
  - (i) क्षेत्रीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य)

-अध्यक्ष

(ii) प्रत्येक खनन, सिविल इंजीनियरिंग और विकास आर्थिक विशेषज्ञ (गैर सरकारी)

–सदस्य

(iii) वन संरक्षक अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में उप वन संरक्षक

-सदस्य सचिव

- (2) गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शर्ते इन नियमों के नियम 4 में यथानिर्धारित जैसी ही होंगी।
- 5. उक्त नियमों के नियम 6 में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--
- 6. अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों को भिजवाना :—
  - (1) प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी जो वन भूमि का वनेतर उपयोग के लिए प्रयोग करना चाहती है इन नियमों के साथ संलग्न उपयुक्त फार्म में अपना प्रस्ताव भेजेगी अर्थात् अधिनियम के अंतर्गत पहली बार अनुमोदन लेने के लिए फार्म "क" और पट्टों के नवीकरण के प्रस्ताव "ख" में जहां अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन की ओर से संबंधित प्राधिकृत नोडल अधिकारी से पहले ही से ले लिया गया है, प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ अपेक्षित सूचना और दस्तावेज लगे होंगे और जो सभी पहलुओं से पूरे होंगे।
- 2. प्रयोक्ता एजेंसी नोडल अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्ताव की प्रति संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी अथवा वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही साथ निगरानी सैल, वन संरक्षण डिवीजन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजेगा।
- (3) (क) प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन, जैसी भी स्थित हो, प्रस्ताव प्राप्ति के 210 दिनों के भीतर, इसमें पारगमन अवधि भी शामिल है, कार्यवाही करेंगे केन्द्रीय सरकार के पास भेज देगी।
- (ख) राज्य सरकार का नोडल अधिकारी अथवा जैसा भी मामला हो, संघशासित प्रशासन उप नियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद और संतुष्ट होने के बाद कि प्रस्ताव सभी प्रकार से सम्पूर्ण है और अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत पूर्वानुमोदन अपेक्षित है, प्रस्ताव को प्राप्त होने के दस दिन के भीतर संबंधित विभागीय वन अधिकारी को भेजेगा,
- बशर्ते कि प्रस्ताव के पूरा होने अथवा दस दिन की अवधि समाप्त होने जो भी पहले हो, प्रस्ताव के पूर्ण होने अथवा अन्यथा का प्रश्न नहीं उठेगा।
- (ग) यदि राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन का नोडल अधिकारी जैसा भी मामला हो प्रस्ताव को अपूर्ण पाता है तो वो प्रयोक्ता एजेंसी को खंड (ख) के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट 10 दिनों की अवधि के भीतर इसे वापिस करेगा और ये अवधि भविष्य के संदर्भ के लिए नहीं गिनी जाएगी।
- (घ) प्रभागीय वन अधिकारी अथवा वन संरक्षक प्रस्ताव के वास्तविक ब्यौरों एवं संभाव्यता की जांच करेंगे, मानचित्रों को प्रमाणित करेंगे, स्थल निरीक्षण एवं वृक्षों की गणना करेंगे और निर्धारित प्रपत्र में नोडल अधिकारी को ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपने निष्कर्ष भेजेगा।
- (ङ) (i) प्रधान मुख्य वन सरंक्षक के माध्यम से नोडल अधिकारी प्रभागीय वन अधिकारी अथवा वन संरक्षक से ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के तीस दिनों की अविध के भीतर राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव भेजेगा।
- (ii) राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, अपनी सिफारिशों के साथ पूर्ण प्रस्ताव नोडल अधिकारी से प्रस्ताव की प्राप्ति के साठ दिनों की अविध के भीतर निर्धारित प्रपत्र में क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110 003, जैसा भी मामला हो, को भेजेगा।

बशर्ते कि वनभूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के सफाई अथवा वनीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कुछ भाग सिहत सभी प्रस्ताव कार्य योजना अथवा प्रबंधन योजना के रूप में भेजा जाए।

इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैसा भी मामला हो को अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव भेजने के बारे में प्रयोक्ता एजेंसी को सृचित करेगा।

(च) यदि संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से खंड (क) के तहत यथा निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के पंद्रह दिनों तक सिफारिशों के साथ प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जाए कि संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन ने प्रस्ताव रद्द कर दिया है और तदनुसार संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेंगे।

बशर्ते कि यदि राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, बाद में अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जैसा भी मामला हो, को भेजते हैं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि विलम्ब के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ ही केन्द्रीय सरकार की सन्तुष्टि के लिए विलंब का स्पष्टीकरण न दिया गया हो।

- (4) उपनियम (3) के खण्ड (ड.) में उल्लिखित प्रस्ताव जिसमें खनन एवं अतिक्रमणों से संबंधित प्रस्ताव के अलावा चालीस हैक्टेयर तक वनभूमि वाले प्रस्ताव शामिल हैं संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक को भेजा जाएगा जो संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से प्रस्ताव की प्राप्ति के पैतालिस दिनों की अवधि के भीतर (क) पांच हैक्टेयर तक के वनेतर प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे तथा (ख) पांच हैक्टेयर से अधिक और चालीस हैक्टेयर तक के वनेतर प्रस्ताव पर कार्रवाई, जांच तथा उसे अपनी सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो पर निर्णय प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजेंगे और राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन, जैसा भी मामला हो, एवं संबंधित प्रयोक्ता एजेंसी को सुचित करेंगे।
- (5) शक्ति प्राप्त क्षेत्रीय समिति खनन और अतिक्रमण से संबंधित प्रस्तावों के अलावा 40 हैक्टेयर तक वन भूमि के वनेतर प्रयोग के प्रस्तावों पर राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन जैसी भी स्थिति हो प्रस्तावों के प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निर्णय लेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि यह आवश्यक समझे वन भूमि के क्षेत्र की सीमा बढ़ा या घटा सकती है।

- (6) उपनियम (3) के खण्ड (ङ) (ii) में उल्लिखित प्रस्ताव जिनमें 40 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि शामिल है और शामिल वन भूमि के क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना खनन और अतिक्रमणों से संबंधित सभी प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, संघ शासित प्रशासन द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेजा जाएगा।
- 6. उपर्युक्त नियमों के नियम 7 में :-
  - (i) उप नियम (1) में शब्द, कोष्ठक और अंकों ''नियम 6 का उपनियम (3)'' के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक ''नियम 6 का उप नियम (6)'' प्रतिस्थापित किया जाए।
  - (ii) उपनियम (1) के बाद निम्निखित उप नियम शामिल किया जाए, अर्थात् :--
  - ''(1क) इन प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाए और सिमति को प्रस्तुत किए जाएं और सिमति की सिफारिशें, राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रशासन जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रस्तावों को प्राप्त होने के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास उसके निर्णय के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। ''
  - (iii) उप नियम (2) में खंड (ग) और (घ) दोनों स्थानों में ''अथवा अन्य प्राधिकरण'' शब्दों के स्थान पर''अथवा संघ शासित प्रशासन जैसा भी मामला हो'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।
- 7. उक्त नियमों में नियम 8 हटा दिया जाए-

[फा. सं. 5-5/98-एफ सी ]

डॉ. वी. के. बहुगुणा, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

टिप्पणी-मुख्य नियम दिनांक 10 जनवरी, 2003 के संख्या सा.का.नि. 23(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2004

- G.S.R. 94 (E)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Forest (Conservation) Rules, 2003, namely:—
  - 1. (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2004.
- (2) Rules 1, 2, 3, 5, 6 [except Sub-rule (5) of rule 6] and 7 of these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette; whereas, rule 4 of these rules and sub-rule (5) of rule 6 of the principal rules, as contained in rule 5 of these rules, shall come into force on the expiry of 180 days from the date of such publication.
- 2. In the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
  - (b) "Committee" means the Forest Advisory Committee constituted under section 3 of the Act.'
  - 3. In the said rules, for rule 3, the following rule shall substituted, namely :-
  - "3. Composition of the Forest Advisory Committee :-
  - (1) The Forest Advisory Committee shall be composed of the following members, namely:—
    - (i) the Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests

---Chairperson

(ii) the Additional Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests

-Member

(iii) the Additional Commissioner (Soil Conservation), Ministry of Agriculture

-Member.

- (iv) three non-official members who shall be experts one each in Mining, Civil Engineering and Development Economics—Members.
- (v) the Inspector General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment and Forests
   —Member Secretary.
- (2) The Additional Director General of Forests shall act as Chairperson in the absence of the Director General of Forests."
  - (4) In the said rules, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :-

Constitution of the Regional Empowered Committee :--

- (1) A Regional Empowered Committee shall be constituted at each of the Regional Offices and shall consist of the following members, namely:
  - (i) the Regional Principal Chief Conservator of Forests (Central)—Chairperson.
  - (ii) three non-official members who shall be experts one each in Mining, Civil Engineering and Development Economics—Members.
  - (iii) the Conservator of Forests or the Deputy Conservator of Forests in the Regional Office—Member Secretary.
  - (2) The term of appointment of non-official Members shall be as specified in rule 4 of these rules.
  - 5. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely—
  - "6. Submission of proposals seeking approval of the Central Government under Section 2 of the Act
  - (1) Every User Agency who want to use any forest land for non-forestry purposes, shall make its proposal in the relevant Form appended to these rules, i.e. Form 'A' for proposals seeking first time approval under the Act, and Form 'B' for proposals seeking renewal of leases, where approval of the Central Government under the Act had already been obtained, to the Nodal Officer of the concerned State Government or the Union Terrifory Administration, as the case may be, along with requisite information and documents, complete in all respects.
  - (2) The User Agency shall endorse a copy of the proposal, along with a copy of the receipt obtained from the office of the Nodal Officer, to the concerned Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests, Regional Office, as well as the Monitoring Cell of the Forest Conservation Division of the Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003.
  - (3) (a) After having received the proposal, the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, shall process and forward it to the Central Government within a period of two hundred and ten days of the receipt of the proposal including the transit period.
    - (b) The Nodal Officer of State Government or as the case may be, the Union Territory Administration, after having received the proposal under sub-rule (1) and on being satisfied that the proposal is complete in all respects and requires prior approval under Section 2 of the Act, shall send the proposal to the concerned Divisional Forest Officer within a period of ten days of the receipt of the proposal:

Provided that on the determination regarding completeness of the proposal or the expiry of ten days, whichever is earlier, the question of completeness or otherwise of the proposal shall not be raised.

- (c) If the Nodal Officer of the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, finds that the proposal is incomplete, he shall return it within the period of ten days as specified under clause (b), to the User Agency and this time period shall not be counted for any future reference.
- (d) The Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, certify the maps, carry out site-inspection and enumeration of the trees and forward his findings in the Format specified in this regard to the Nodal Officer within a period of ninety days of the receipt of such proposal from him.
- (e) (i) The Nodal Officer, through the Principal Chief Conservator of Forests, shall forward the proposal to State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, alongwith his recommendations, within a period of thirty days of the receipt of such proposal from the Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests.
- (ii) The State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, shall forward the complete proposal, alongwith its recommendations, to the Regional Office or the Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, as the case may be, in the specified Forms within a period of sixty days of the receipt of the proposal from the Nodal Officer:

Provided that all proposals involving clearing of naturally grown trees on the forest land or a portion thereof for the purpose of using it for reforestation shall be sent in the form of Working Plan or Management Plan.

Provided further that the concerned State Government or as the case may be, the Union Territory Administration, shall simultaneously send the intimation to the User Agency about forwarding of the proposal, alongwith its recommendations, to the Regional Office or the Ministry of Environment and Forests, as the case may be.

(f) If the proposal, alongwith the recommendations, is not received from the concerned State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, till fifteen days of the expiry of the time limit as specified under clause (a), it shall be construed that the concerned State Government or as the case may be, the Union Territory Administration, has rejected the proposal and the concerned State Government or the Union Territory Administration shall inform the User Agency accordingly:

Provided that in case the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, subsequently forward the proposal, alongwith its recommendations, to the Regional Office or the Ministry of Environment and Forests, as the case may be, the proposal shall not be considered by the Central Government unless an explanation for the delay to the satisfaction of the Central Government is furnished, together with action taken against any individual held to be responsible for the delay.

- (4) The proposal referred to in clause (e) (ii) of sub-rule (3), involving forest land upto forty hectares other than the proposal relating to mining and encroachments, shall be forwarded by the concerned State Government or as the case may be, the Union Territory Administration, alongwith its recommendations, to the Chief Conservator of Forests or the Conservator of Forests of the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, who shall within a period of forty-five days of the receipt of the proposal from the concerned State Government or the Union Territory Administration, as the case may be (a) decide the diversion proposal upto five hectares and (b) process, scrutinise and forward diversion proposal of more than five hectares and upto forty hectares, along with the recommendations, if any, to the Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi 110003, for obtaining the decision of the Central Government and inform the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, and the User Agency concerned.
- (5) The Regional Empowered Committee shall decide the proposal involving diversion of forest land upto forty hectares other than the proposal relating to mining and encroachments, within forty-five days of the receipt of such proposal from the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be:

Provided that the Central Government may, if consider it necessary, enhance or reduce the limit of the area of the forest land.

- (6) The proposal referred to in clause (e) (ii) of sub-rule (3), involving forest land of more than forty hectares, and all proposal relating to mining and encroachments irrespective of the area of the forest land involved, shall be forwarded by the concerned State Government or as the case may be, the Union Territory Administration, alongwith its recommendations, to the Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003."
- 6. In the said rules, in rule 7:-
  - (i) in sub-rule (1) for the words, brackets and figures "sub-rule (3) of rule 6", the words, brackets and figures "sub-rule (6) of rule 6" shall be substituted.
  - (ii) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-
    - "(1A) These proposals shall be processed and put up before the Committee and the recommendations of the Committee shall be placed within a period of ninety days of the receipt of such proposals from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, before the Central Government for its decision."
  - (iii) in sub-rule (2), in clauses (c) and (d), at both places, for the words, "or the other authority", the words "or the Union Territory Administration, as the case may be," shall be substituted.
- 7. In the said rules, rule 8 shall be omitted.

[F. No. 5-5/98-FC]

Dr. V.K. BAHUGUNA, Inspector General of Forests (Forest Conservation)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 23 (E) dated the 10th January, 2003.